राजस्थान विधान सभा

(सोलहवीं विधान सभा का पंचम सत्र)

प्रश्न शाखा

बुलेटिन भाग – 2

(राजस्थान विधान सभा के कार्य तथा अन्य विषयों के बारे में सामान्य जानकारी)

विधान सभा भवन,
जयपुर।

संख्या : 04 दिनांक 07 जनवरी, 2026

माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रश्नों की ग्राह्यता विनिश्चित करने हेतु राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 37(2) में निम्नांकित प्रावधान है, जो आपके अवलोकनार्थ प्रेषित हैं:-

37. प्रश्नों की ग्राह्यता की शर्तें:- (1) उप-नियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोक महत्व के किसी ऐसे विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछा जा सकेगा जो उस मंत्री के विशेष संज्ञान में हो जिसे वह सम्बोधित किया गया हो।

(2) प्रश्न पूछने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन है अर्थात्:-

1. उसका किसी ऐसे विषय से संबंध नहीं होगा जिससे मंत्री पदेन संबंधित न हो;
2. उसमें कोई ऐसा नाम या कथन नहीं होगा जो प्रश्न को सुबोध बनाने के लिए सर्वथा आवश्यक न हो;
3. यदि उसमें कोई कथन हो, तो सदस्य को उस कथन की परिशुद्धता के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा;
4. उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंगात्मक पद, अभ्यारोप, विशेषण या मानहानिकारक कथन नहीं होंगे;
5. उसमें राय प्रकट करने या किसी अमूर्त विधि संबंधी प्रश्न या किसी काल्पनिक प्रस्थापना के समाधान के लिए नहीं पूछा जायेगा;
6. उसमें किसी व्यक्ति के पदेन या सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उसके चरित्र या आचरण पर अभ्युक्ति नहीं की जायेगी जिसके आचरण पर मूल प्रस्तावों के द्वारा ही आपत्ति की जा सकती हो;
7. उसमें किसी ऐसे विषय पर जानकारी नहीं मांगी जायेगी जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय-निर्णयन के अन्तर्गत हो;
8. वह अत्यधिक लम्बा नहीं होगा;
9. उसमें ऐसी जानकारी नहीं मांगी जायेगी जो प्राप्त दस्तावेजों या साधारण निर्देश ग्रन्थों में दी गई हो;
10. उसमें ऐसी नीति के प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे जो इतनी विस्तीर्ण हो कि प्रश्न के उत्तर की सीमा के भीतर न आ सके;
11. उसमें किसी विशेष कार्यवाही हेतु वस्तुत: कोई सुझाव या प्रार्थना न की जावेगी किन्तु उसमें ऐसे किसी मामले के प्रति, जिस पर कोई प्रश्न पूछा जा सकता हो, सरकार के विचार संबंधी वक्तव्य की मांग की जा सकती हैं;
12. वह उस विषय से संबंधित नहीं होगा जो मुख्यतया सरकार का विषय न हो;

13. उसमें ऐसे निकायों या व्यक्तियों के नियंत्रण के अन्तर्गत विषय नहीं उठाये जायेंगे जो मुख्यतया सरकार के प्रति उत्तरदायी न हो;
14. उसमें व्यक्तिगत रूप को दोषारोपण नहीं किया जायेगा और न वह दोषारोपण ध्वनित होगा;
15. उसमें किसी समिति की ऐसी कार्यवाही के बारे में नहीं पूछा जायेगा जो समिति के प्रतिवेदन द्वारा सदन के सामने न रखी गई हो;
16. उसमें ऐसे प्रश्नों की सारत: पुनरुक्ति नहीं की जायेगी जिनके उत्तर पहले दिये जा चुके हों या जिनका उत्तर देना अस्वीकार कर दिया गया हो;
17. उसमें तुच्छ विषयों पर जानकारी नहीं मांगी जायेगी;
18. उसमें साधारणतया विगत इतिहास के विषयों पर जानकारी नहीं मांगी जायेगी;
19. उसमें साधारणतया ऐसे विषयों पर जानकारी नहीं मांगी जायेगी जो किसी समिति के समक्ष विचाराधीन हो;
20. उसमें साधारणतया ऐसे विषयों के बारे में नहीं पूछा जायेगा जो कोई न्यायिक या अर्द्धन्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने विचाराधीन हो किन्तु उसमें जांच की प्रक्रिया या विषय या प्रक्रम से संबंधित विषयों की ओर निर्देश किया जा सकेगा, यदि उसमें न्यायाधिकरण या आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना न हो;
21. उसका संबंध एक ही विषय से होगा;
22. जब तक उसमें किसी सिद्धान्त अथवा नीति का प्रश्न हो, उसमें व्यक्तिगत मामला नहीं उठाया जायेगा;
23. वह ऐसे विषय से संबंधित नहीं होगा जो अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में हो;
24. उसका संबंध स्थानीय निकायों अथवा अन्य स्वायत्तशासी या अर्द्धस्वायत्तशासी निकायों के दिन प्रतिदिन के प्रशासन से नहीं होगा; परन्तु उसके द्वारा उनके राज्य सरकार के सम्बन्ध से उत्पन्न विषय पर सूचना चाही जा सकेगी अथवा उसमें कानून या नियमों के उल्लंघन का निर्देश किया जा सकेगा अथवा उसका सम्बन्ध जनकल्याण के महत्वपूर्ण विषयों से हो सकेगा;
25. उसमें मंत्रिमण्डल में हुए विचार-विमर्श अथवा राज्यपाल को किसी ऐसे विषय में दी गई सलाह के बारे में जानकारी नहीं मांगी जायेगी जिसे प्रकट न करने के सम्बन्ध में कोई संवैधानिक, संविहित अथवा परम्परागत दायित्व हो।

भारत भूषण शर्मा
प्रमुख सचिव